28.07.2022 उभय पक्षों की ओर से हाजरी दी गई।

वाद पुकार पर उभय पक्ष अपने–अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ न्यायालय में उपस्थित हुए, तथा वादी की ओर से दिनांक–10.01.2022 का आदेश–22 नियम–3 (i) के प्रतिस्थापन आवेदन पर उभय पक्षो को सुना। इनका कथन है कि वादी सत्य ना0 यादव की मृत्यु दिनांक–21.10.2021 हो गई है। अतः इनके वारीशान चार पुत्र क्रमश : अरविन्द यादव, अनिल प्रसाद यादव, जयप्रकाश कुमार एवं प्रभाष कुमार प्रभाकर एवं तीन पुत्री क्रमशः ललिता देवी, अनिता देवी एवं सुनिता देवी को पक्षकार बनाया जाना अतिआवश्यक है। अतः वादी की ओर से दिनांक–10.01.2022 को दाखिल प्रतिस्थापन आवेदन स्वीकृत करने की कृपा की जाय। वंही प्रतिवादी की ओर से वादी के आवेदनो पर किसी प्रकार कोई आपत्ति जाहिर नही करते है।

सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से पाया जाता है कि प्रस्तुत वाद में वादी सत्य ना0 यादव की मृत्यु दिनांक–21.10.2021 को हो गई है। जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति भी दाखिल किये है, तथा प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त आवेदन पर No objection का टिप भी दिये है। अतः मृतक के वारीशानों को पक्षकार बनाया जाना न्यायहित में आवश्यक प्रतीत होता है। अतः ऐसी परिस्थिति में वादी के दिनांक–10.01.2022 के आवेदन को तदनुसार **स्वीकृत** किया जाता है।

वादी विहित समय के अन्दर मृतक वादी के वारीशानों के नाम को वाद–पत्र में अंकित करें।

वाद दिनांक–12.08.22 वास्ते अग्रिम कार्यवाही।

मुंसिफ

बनमनखी।